न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 66/2018

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति घांची निवासी सिणधरी जिला बाड़मेर (मैसर्स सुन्धा माता मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड के पास सिणधरी बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 23.02.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स सुन्धा माता मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड के पास सिणधरी बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **09.05.2018** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मिठाई (नुक्ति)** जो कि लोहे की थाल मे करीब 10 कि0ग्रा0 रखी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 कि0ग्रा0 मिठाई (नुक्ति)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–910** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (नुक्ति)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 16.05.2018 में उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (नुक्ति)** का नमूना को **अवमानक (Sub-standard)** घोषित किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:58:12 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकार किया गया। इस पर प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **16.05.2018** मे उक्त नमूना **अवमानक** स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया । अप्रार्थी ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करते हुए भविष्य मे इस अपराध की पुनरावृति नही किये जाने का वचन दिया है। लिहाजा अप्रार्थी के द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप किसी अतिरिक्त साक्ष्य के विवेचन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 25000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 23.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:58:12 IST
Reason: SelfAttested

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
न्यायनिर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर